अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ALL INDIA INSTITUTE OF MEDICAL SCIENCES [भर्ती प्रकोष्ठ / RECRUITMENT CELL]

सं.मि.2-17/2019-स्था. (भर्ती) No.F.2-17/2019-Estt.(RCT) अंसारी नगर, नई दिल्ली-29 Ansari Nagar, New Delhi-29 दिनांक/Dated:

कार्यालय आदेश / OFFICE ORDER

7 1 AUG 2020

विषय: अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नति। Subject:- Promotion to the post of Administrative Officer at the AIIMS, New Delhi.

दिनांक 31.12.2019 को प्रशासनिक अधिकारी के पद हेतु विभागीय पदोन्नित समिति मीटिंग की सिफ़ारिश के परिणामस्वरूप और सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के अनुसार, निम्निलिखित सहायक प्रशासनिक अधिकारी को पे मेटिरक्स के लेवल-10 (पूर्व संशोधित वेतन बैंड-3 रु.15600-39100 + रु.5400' ग्रेड पे) में प्रशासनिक अधिकारी के पद का पदभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत किया जाता है।

Consequent upon the recommendations of the Departmental Promotion Committee in its meeting held on 31st December, 2019 and its acceptance by the Competent Authority, the following Assistant Administrative Officer are promoted to the promoted to the post of Administrative Officer in the Level-10 of the Pay Matrix (pre-revised PB-3 Rs. 15600-39100 + Grade Pay Rs.5400) from the date they assume the charge of the post of Administrative Officer.

क्र.सं./ Sr. No.	नाम/ Name	वर्तमान तैनाती/ Present Posting	
1.	श्री आर. के. शर्मा / Sh. R.K. Sharma	सी डी आर / CDER	
2.	श्री आर. संतोष कुमार / Sh. R. Santhosh Kumar	भर्ती प्रकोष्ठ / Recruitment Cell	

उनकी वरिष्ठता प्रशासनिक अधिकारी के पद पर विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक की तिथि अर्थात 31.12.2019 से प्रभावी होगी।

Their seniority in the post of Administrative Officer will be effective from the date of Departmental Promotion Committee i.e. 31.12.2019.

प्रशासनिक अधिकारी का पदभार ग्रहण करने की तिथि से, दिल्ली/नई दिल्ली/ बढ्सा, झज्जर/एन.डी.डी.टी.सी., गाज़ियाबाद और वर्तमान में बल्लभगढ़ में स्थित रुरल केन्द्र या भविष्य में संस्थान द्वारा खोले गए अन्य केन्द्रों में कार्यरत कर्मचरियों को समय-समय पर स्वीकृत किए जाने वाले भत्तों के हकदार होंगे।

They will be entitled to such other allowances as are admissible from time to time to the Institute Employees of their status stationed at Delhi/New Delhi/NDDTC, Ghaziabad/Outreach OPD, Jhajjar, and NCI Jhajjar, Haryana and in the rural center presently located at Ballabhgarh (Haryana) and at any other centre opened by the Institute in future, from the date they assume the charge to the post of Administrative Officer.

उन्हें यह सलाह दी जाती है कि वे इस कार्यालय आदेश के जारी होने के एक माह के अंदर अपने वेतन को एफ.आर.22(1) के अंतर्गत पदग्रहण करने की तिथि अथवा वर्तमान पद पर अगली वेतनवृद्धि पाने कि तिथि से निर्धारित करने का विकल्प चुने बशर्तें उन्हें आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना/संशोधित आश्वस्तित वृत्ति प्रगति योजना के अन्तर्गत वित्तीय उन्नति प्रदान नहीं किया गया ।

They are advised to exercise their option for fixation of their pay under FR-22(I) either from the date of their promotion to the post or from the date of drawl of their next increment in the present post within one month from the date of issue of this office order, provided they have not been granted financial up-gradation under ACP/MACP Scheme.

प्रशासनिक अधिकारी के पद पर पदोन्नित की पेशकश माननीय सर्वोच्चय न्यायालय के समक्ष लंबित SLP No.31288/2017 और अन्य जुड़े मामलों के परिणाम या इस सम्बन्ध में DoPT से जारी किसी भी अन्य स्पष्टीकरण के अधीन है।

The offer of promotion to the post of Administrative Officer is subject to outcome of the SLP No.31288/2017 and other connected matters pending before the Hon'ble Supreme Court or any other clarification issued from the DoPT in this regard.

वे दो वर्ष की अविध के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे । परिवीक्षा अविध के दौरान उन्हें संतोषजनक सेवाएँ प्रदान करना अपेक्षित हैं जिसमे असफल रहने पर उनकी सेवायें किसी भी समय बिना कोई नोटिस दिये अथवा बिना कोई कारण बताए प्रत्यावर्तित कर दी जाएंगी ।

They will be on probation for a period of two years. During the period of probation they will be required to put in satisfactory service failing which their services will be liable to be reverted at any time without any notice or reason being assigned for the same.

उनकी सेवा की अन्य शर्तें जोकि संस्थान में कार्यरत अन्य सभी कर्मचारियों पर लागू हैं, पूर्वानुसार ही रहेंगी।

Other terms and conditions of their service will be the same as are applicable to other employees of the Institute.

[भपिंदर सिंह गिल / Bhupinder Singh Gill]

वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/SENIOR ADMINISTRATIVE OFFICER

संबन्धित व्यक्ति/Persons concerned

द्वारा: उनके संबन्धित ऑफिसर इनचार्ज

Through:- Their respective Officer-in-Charge

प्रतिलिपि/Copy to:-

- 1) प्रमुख/Chief सी.डी.आर./CDER / आर.पी.सी./RPC
- 2) आचार्य प्रभारी (भर्ती) /Professor-In-Charge (Recruitment)
- 3) निदेशक/उप निदेशक (प्रशा.)/मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के प्रधान निजी सचिव /निजी सचिव PPS/PS to Director / DDA/ CAO
- 4) वरिष्ठ / प्रशासनिक अधिकारी सी.डी.आर./ स्थापना अनुभाग (नि.का.) Senior/Administrative Officer – CDER / Establishment Section (DO)
- 5) स्थापना अनुभाग (नि.का.) / सी.डी.आर./ Establishment Section D.O./ CDER
- 6) लेखा अनुभाग-II एवं III // Accounts Section II & III
- 7) सामान्य अनुभाग/सम्पदा अनुभाग/विधि प्रकोष्ठ/सामान्य भविष्य निधि अनुभाग General Section / Estate Section / Legal Cell / GPF Section
- 8) सतर्कता प्रकोष्ठ/वार्षिक गोपनीय रिपोर्ट प्रकोष्ठ/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रकोष्ठ / संरक्षण मिसिल // Vigilance Cell / ACR's Cell /SC/ST Cell / Guard File

Professor-in-charge Computer Facility - with the request to upload the same on Institute website.

कम्प्यूटर सकिन Committee Facility

2 2 AUG 2020

समय/Time. 1.0:40 Arm

मिल्ला का जो सहिए है।

3 21 mm of 1000